न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 93/2019 **दायर दिनांकः 07/07/2019**

उनवान

1. हीरालाल आयु 26 वर्ष पुत्र पालूराम जाति कालबैलिया
2. लछमाबाई आयु 28 वर्ष पुत्री पालूराम जाति कालबैलिया
3. मांगीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री लड्डूनाथ उर्फ लटूरनाथ जाति कालबैलिया निवासीगण देंगनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) हाल निवासीगण अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 04/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल देंगनी जागीर पटवार हल्का मूण्ड़ला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 42 के ख0न0 124 का रकबा 2.0 है0 आराजी वादीक्रम 1 व 2 के दादा तथा वादिया क्रम 3 के पिता लड्डूनाथ उर्फ लटूरनाथ के दर्ज खाता हैं। नकल नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 42 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी लड्डूनाथ की पैतृक सम्पत्ति हैं। जिसमें मृतक लड्डूनाथ के स्थान पर उसके पुत्र वादी क्रम 1 व 2 के पिता मृतक पालूराम एवं पुत्री वादिया क्रम 3 मांगीबाई का तथा मृतक पालूराम के स्थान पर वादी क्रम 1 हीरालाल व वादी क्रम 2 लछमाबाई का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी क्रम 1 व 2 के दादा तथा वादीया क्रम 3 के पिता लड्डूनाथ का नाम खाते में लटूरनाथ गलत दर्ज कर दिया जिससे वादीगण का नाम दर्ज नहीं हो पा रहा हैं। इसलिए लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज किया जावें तथा उक्त वर्णित आराजी पर वादी क्रम 1 व 2 को 1/2 तथा वादीया क्रम 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें जिसके वादीगण अधिकारी एवं

नॉलिशी हैं। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 व 2054 से 2057, मृत्यु प्रमाण पत्र लड्डूनाथ, मृत्यु प्रमाण पत्र पालूराम, मृत्यु प्रमाण पत्र पार्वती बाई, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अमरपुरा, आधार कार्ड हीरालाल, लछमाबाई, मांगीबाई वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैं :–

लड्डूनाथ उर्फ लटूरनाथ

पालूराम (मृतक) (पुत्र) | मांगीबाई (वादी क्रम 3) (पुत्री) | पार्वती बाई (मृतक) (पत्नि)

पालूराम (पुत्र) की संतान/पत्नि:

हीरालाल (पुत्र) (वादी क्रम 1) | लछमाबाई (पुत्री) (वादी क्रम 2) | रूकमाबाई (पत्नि) (नाथे जा चुकी हैं)

वादी क्रम 1 व 2 के पिता पालूराम की मृत्यु दिनांक 18/02/1998 को हो जाने के 1 वर्ष बाद अर्थात् 20 वर्ष पूर्व वादी क्रम 1 व 2 की मां रूकमा बाई ने द्वितीय विवाह कर लिया हैं इसलिए रूकमा बाई को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। बिना सहायता न्यायालय वाके ग्राम एवं माल देंगनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 42 के ख0न0 124 का रकबा 2.0 है0 आराजी में वादीगण अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते तथा वादी क्रम 1 व 2 के दादा व वादी क्रम 3 के पिता का नाम लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज नहीं करवा सकते। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण उक्त आराजी पर अपने हक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं तथा सरकारी सहायता एवं ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहें हैं। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति हो रही हैं। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादीगण वाद पेश कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावें कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी क्रम 1 व 2 को 1/2 हिस्सा तथा वादिया क्रम 3 को 1/2 हिस्सा पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादी क्रम 1 व 2 के दादा तथा वादीया क्रम 3 के पिता का नाम लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार महोदय को प्रदान किये जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का विधिक नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया हैं लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह

से 2 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी0पी0सी0 के साथ माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र 80(2) सी0पी0सी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी क्रम 1 व 2 के दादा तथा वादिया क्रम 3 के पिता का नाम लड्डूनाथ के स्थान पर लटूरनाथ दर्ज करने पर तथा अंतिम बार दिनांक 28/03/2019 को प्रतिवादी द्वारा नाम दुरूस्त करने पर व इन्तकाल खोलने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम देंगनी जागीर तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः—

(अ) वादीगण का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम देंगनी जागीर की खाता संख्या 42 के ख0न0 124 का रकबा 2.0 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.0 है0, आराजी पर वादी क्रम 1 व 2 को 1/2 हिस्सा तथा वादिया क्रम 3 को 1/2 हिस्सा पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 व 2 के दादा तथा वादीया क्रम 3 के पिता का नाम लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी अवसर दिये जाने पर भी जवाबदावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत $P.W_1$ से $P.W_3$ के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। शेष साक्ष्यवादी बंद किये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम देंगनी जागीर की खाता संख्या 42 के ख0नं0 124 रकबा 2.0 है0 कुल किता 1 रकबा 2.00 है0 पर वादी क्रम 1 व 2 को 1/2 हिस्सा तथा वादिया

क्रम 3 को 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, तथा उक्त आराजी में वादी क्रम 1 व 2 के दादा तथा वादिया क्रम 3 के पिता का नाम लटूर नाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड भू प्रबन्धक जमाबन्दी खाता संख्या 10 ख0नं0 124 रकबा 2.00 है0 भूमि खातेदार लड्डूनाथ बल्द केसरनाथ के खाते दर्ज है। प्रदर्श 3 अनुसार लड्डूलाल पुत्र के केशरनाथ, पालूराम पुत्र मांगीबाई की मृत्यु हो चुकी है। सजरे अनुसार लड्डूनाथ उर्फ लटूरनाथ के पालूराम पुत्र, मांगीबाई वादी क्रम 3 पुत्री, व पार्वती बाई मृतक पत्नी लड्डूनाथ है, पालूराम मृतक के वारिस वादी क्रम 1 हीरालाल पुत्र लक्ष्मा बाई पुत्री तथा रिकार्ड अनुसार लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ किया जाना उचित है। लड्डूनाथ की मृत्यु के पश्चात पुत्र पालूराम मृतक के स्थान पर हीरालाल, लक्ष्मा बाई, मांगीबाई पुत्री लड्डूनाथ का नाम दर्ज होना चाहिये था अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम देंगनी जागीर की खाता संख्या 42 ख0नं0 124 रकबा 2.00 है0 में वादी क्रम 1, 2 को हिस्सा 1/2 तथा वादिया क्रम 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

उक्त आराजी में वादीया क्रम 3 के पिता का नाम लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 93/2019

उनवान

1. हीरालाल आयु 26 वर्ष पुत्र पालूराम जाति कालबैलिया
2. लछमाबाई आयु 28 वर्ष पुत्री पालूराम जाति कालबैलिया
3. मांगीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री लड्डूनाथ उर्फ लटूरनाथ जाति कालबैलिया निवासीगण देंगनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) हाल निवासीगण अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम देंगनी जागीर की खाता संख्या 42 ख0नं0 124 रकबा 2.00 है0 में वादी क्रम 1, 2 को हिस्सा 1/2 तथा वादिया क्रम 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

उक्त आराजी में वादीया क्रम 3 के पिता का नाम लटूरनाथ के स्थान पर लड्डूनाथ दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:39:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: